प्रेषक,

कलेक्टर
टिहरी गढ़वाल।

सेवामें,

सचिव
परिवहन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

पत्रांक :– 702 / 8–विभूअअ / 2016 दिनांक :– 01-12-16

विषय :– **126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 12 ग्रामों में अर्जित की जाने वाली नाप भूमि हेतु किये गये सामाजिक समाघात अध्ययन (SIA) पूर्ण होने के उपरान्त प्रारम्भिक अधिसूचना जारी किये जाने हेतु।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक 126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 12 ग्रामों में अर्जित की जाने वाली नाप भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 तथा नियमावली–2015 के तहत सामाजिक समाघात अध्ययन (SIA) पूर्ण कर लिया गया है, जिसका सारबिन्दु पूर्व में पत्र सं0–677 / 8–विभूअअ / 2016 दिनांक 15.11.2016 को प्रेषित किया गया था।

तदोपरान्त ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–11 के तहत भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना सादर प्रेषित की जा रही है, ताकि अर्जन अधिनियम–2013 की धारा–11 के तहत प्रारम्भिक अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित की जा सके।

भवदीय

संलग्नक :–यथोक्त प्रारम्भिक अधिसूचना।

(इन्दुधर बौडाई)
कलेक्टर
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. डी0आर0एम0, नार्दन रेलवे, मुरादाबाद।
4. महाप्रबन्धक, पी0–1, रेल विकास निगम लि0, नई दिल्ली।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश।
6. राजकीय मुद्रणालय रूड़की को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
टिहरी गढ़वाल।